

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक ::

दिनांक ::

आज दिनांक 05.05.2011 को ले-आऊट अनुमोदन समिति की बैठक आयुक्त एवं जिला कलेक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यो ने भाग लिया :-


1. श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त (दक्षिण) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी जो.वि.प्रा., जोधपुर।
3. श्रीमती अजरा, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्री चन्नीलाल सैनी, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री नरेन्द्र बंसल, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री हनुमानदास सोनी, निदेशक (विधि), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
7. श्री निदेशक (अभियांत्रिक), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
8. श्रीमती सुनिता डागा, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर।
9. श्री एन.के. माथुर अधिसारी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
10. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। (सदस्य सचिव)


समिति के समक्ष निदेशक आयोजना द्वारा विवेक विहार योजना का पुनःरक्षित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 16.3.2011 को विवेक विहार का मानचित्र स्वीकृत किया गया था।, परन्तु निदेशक (अभियांत्रिक) द्वारा High Tension Line को सड़क के सहारे सहारे Shift करने का फैसला लिया, जिसके अनुरूप पुनः प्लान को Rewrite किया गया है। निदेशक आयोजना द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि का भू उपयोग आवासीय है विवेक विहार योजना को तत्कालीन नगर सुधार न्यास के कार्यालय पत्र क्रमांक एफ(1) 1/नविवि/3/2004 दिनांक 22.12.2004 द्वारा अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार एवं कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.10.2010 द्वारा योजना की क्रियान्विति को अनुमोदित किया गया है।

उपायुक्त दक्षिण ने बताया गया कि विवेक विहार योजना के तहत ग्राम सांगरिया एवं कुडी भगतासनी की केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जारी अर्वार्ड दिनांक 26.10.2004 में अंकित 3094.16 बीघा भूमि के साथ ही ग्रम के खसरा न. 236, 250, 251, 253, 260, 268, 325, 291 व 293 ग्राम सांगरिया व खसरा न. 172 व 210 ग्राम कुडी की 65.17 बीघा एवं ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 235 रकबा 12 बीघा ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नं. 191 रकबा 5.09 बीघा व खसरा नं. 192 का रकबा 73 बीघा, भूमि भी सम्मिलित है।

बैठक के दौरान योजना पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को निदेशक आयोजना द्वारा प्रस्तावित ले आउट पर मार्क किया गया। विवेक विहार योजना कि कयान्चिति दो चरणों में करने का प्रस्ताव लिया गया। प्रथम चरण में सेक्टर ए जो मुख्यतः वाणिज्यिक है एवं चरण द्वितीय चरण सेक्टर बी से ओ जो मुख्यतः आवासीय बनाये गये है।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श विवेक विहार योजना के ले आउट प्लान को सर्व सम्मिति से अनुमोदित किया गया।


निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।


आयुक्त एवं जिला कलेक्टर
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।